न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
01 / 18	एफएसएस एक्ट, 2006	04.07.2018	20-12-2023

1. प्रेमचन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री घनश्याम लाल गुप्ता पुत्र श्री हठीलाराम गुप्ता, जाति महाजन (विक्रेता व प्रोपराईटर) निवासी आर्य समाज मन्दिर के पास, गंगापुर सिटी
2. श्री कौस्तव कुमार घोष, ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन मेनेजर, फर्म Godfrey Philips India limited, Branch- Room No. 306, Sakar-1, Ashram Road, Oppsite Nehru Bridge, Ahmedabad-380009 एवं नोमिनी–फर्म– Godfrey Philips India limited C\0 Ramniwas Shyamsunder, C&F Agent, New Mandawa House, Sansar Chandra Road, Jaipur (Raj.) Pin-302001 and Godown-Opp. Balaji Dharam kata, Near Jodala Power House, Road No. 14, Vishwa Karma Ind. Area, jaipur (Raj.)
3. फर्म–Corporate Office-Godfrey Philips India limited, 49 Community Centre, Friends Colony, New Delhi-11025- जरिये – नोमिनी
4. फर्म–निर्माता–Godfrey Philips India limited, A 1/1, MIDC Industrial Area, Pencil Chowk, Baramati, Dist.-Pune-413102 जरिये – नोमिनी

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 20-12-2023

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 21.09.2012 को 12.30 पी.एम. पर फर्म–गर्ग ब्रादर्स नया बाजार, गंगापुर सिटी पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर श्री घनश्याम लाल गुप्ता पुत्र श्री हठीलाराम गुप्ता (प्रोपराईटर/ मालिक)जाति महाजन निवासी आर्य समाज मन्दिर के पास, गंगापुर सिटी मौजूद था, को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मौके पर प्रस्तुत की। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ पान मसाला (पानविलास) के मिलावटी होने का शक होने पर नमूना वास्ते जाच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ पान मसाला (पानविलास) 10.5 ग्राम पैक के 35 पैकिटों में से 20 पैकिट वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 200 रूपये नगद चुकाकर

रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षतर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये पान मसाला (पानविलास) 10.5 ग्राम पैक के 20 पैकिटों मे से 5–5 पैकिट के चार सैट बनाये तथा पांच लेबल तैयार करके उन पर प्रत्येक पेकैट पर लेबल एक–एक चिपकाया। प्रत्येक सेट को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी0ओ0 सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एच– 231 नियमानुसार नमूना भागों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारो सैटो पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर सीलबन्द सैटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्द रिपोटे तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एव समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं अलग से सील्ड लिफाफे में तथा अलग से दो प्रतिया फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है।

दो सील बद नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2012/3203 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेशक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या FSSL/KOTA/2012/701 दिनांक 09.10.2012 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पान मसाला (पान विलास) मिथ्याछाप पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2012/3203 दिनांक 26.10.2012 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एंव मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये। जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2013/350 दिनांक 19.02.2013 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

उक्त प्रकरण में खाद्य विशलेशक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या FSSL/KOTA/2012/701 दिनांक 09.10.2012 के अनुसर विक्रेता व फर्म मालिक द्वारा मिथ्याछाप खाद्य वस्तु पदार्थ पान मसाला (पान विलास) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिस शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्त संख्या 1 द्वारा अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त गंगापुर सिटी में फर्म गर्ग ब्रादर्स के नाम से नया बाजार गंगापुर सिटी में कार्य करता हे। प्रार्थी/अभियुक्त के पास खाद्य पदार्थ विक्रय करने का प्रभावी लाइसेन्स हे। प्रार्थी/अभियुक्त कोई खुला सामान विक्रय नही करता है,बल्कि सीलबन्द सामान जिस तरह से निर्माता कम्पनी के यहां से प्रार्थी के यहां बिकने के लिए आता हे उसी रूप में विक्रय करता है। प्रार्थी/अभियुक्त ने खाद सुरक्षा

अधिकारी को पान मसाला (पान विलास) जिस रूप में निर्माता कम्पनी के यहाँ से प्राप्त हुआ है उसी रूप में उपलब्ध करवाया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई मिलावट का कार्य नही किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी की दुकान पर आकर कई खाली कागजों पर बिना कुछ बताये पुलिस का भय दिखाकर हस्ताक्षर करवा लिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी को कोई रूपये नही दिये, ना ही प्रार्थी/अभियुक्त के सामने सैम्पलिंग की कोई कार्यवाही की अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

अभियुक्तगण संख्या 02,03,04 कि ओर से जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया है Godfrey Philips India limited कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पान मसाला, चाय और कैण्डीज के निर्माण व वितरण का कार्य करती है। कम्पनी द्वारा पान मसाला (पान विलास) का निर्माण व विक्रय हेतु वितरण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पान मसाला (पान विलास) का सैम्पल दिनांक 21 सितम्बर 2012 को लिया गया तथा फुड सैफ्टि एण्ड स्टेडर्ड लेबोरेट्री कोटा की जॉच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2012 को प्राप्त हुई है। जॉच रिपोर्ट नियमानुसार 14 दिवस में प्राप्त होनी चाहिए परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी जॉच हेतु सैम्पल समय पर नही भिजवाने के कारण प्रकरण खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण सुनी गई। बहस के दौरान वकील अभियुक्तगण ने जबाव में अकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि अभियुक्त संख्या 1 के पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाइसेन्स है। अभियुक्त कोई खुला सामान विक्रय नहीं करता है, बल्कि सीलबन्द सामान जिस तरह से निर्माता कम्पनी के यहां से प्रार्थी के यहां बिकने के लिये आता है, उसी रूप में अभियुक्त संख्या 1 विक्रय करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी से लिये पान मसाला (पान विलास) भी जिस रूप में विपक्षी निर्माता कम्पनी के यहां से अभियुक्त संख्या 1 के यहां आया उसी रूप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिया हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किसी भी पाउच को खोलकर नही देखा। अभियुक्त संख्या 1 ने कभी कोई मिलावट का कार्य नही किया है। विपक्षी निर्माता कम्पनी के यहां से खरीदे गये बिल की प्रति भी अभियुक्त संख्या 1 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी है, जिसे खाद्य सुरखा अधिकारी ने अपने आवेदन में स्वीकार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी की दुकान पर आकर प्रार्थी से कई खाली कागजों पर बिना कुछ बताये पुलिस का भय दिखाकर हस्ताक्षर करा लिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी को कोई रूपये नही दिये ना ही प्रार्थी जवाबदार के सामने सैम्पलिंग की कोई कार्यवाही की। प्रार्थी उक्त प्रकरण की कार्यवाही से भी सन्तुष्ट नही है। प्रार्थी के विरूद्ध गलत मुकदमा बनाया गया है।खाद सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया है Godfrey Philips India limited कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पान मसाला, चाय और केण्डीज के निर्माण व वितरण का कार्य करती है। कम्पनी द्वारा पान मसाला (पान विलास) का निर्माण व विक्रय हेतु वितरण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पान मसाला (पान विलास) का सैम्पल दिनांक 21 सितम्बर 2012 को लिया गया तथा फुड सैफ्टि एण्ड स्टेडर्ड लेबोरेट्री कोटा की जॉच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2012 को प्राप्त हुई है। जॉच रिपोर्ट नियमानुसार 14 दिवस में प्राप्त होनी चाहिए परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जॉच हेतु सैम्पल समय पर नही भिजवाने के कारण प्रकरण खारिज योग्य है। उक्त प्रकरण की कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही की है तथा नियमों की अवहेलना की है। इस कारण भी उक्त कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है।

हमने अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण संख्या 02 लगायत 04 के जबाव एंव बहस का मुख्य बिन्दु यह रहा है कि सामग्री Unsafe या Sub Standred नही थी ओर LABORATORY कि रिपोर्ट 14 दिवस के बाद प्राप्त हुई है तथा उक्त लैब का Miss Branded के सैम्पल का विश्लेषण करने का अधिकार नही है, अभियुक्त का यह कथन विधि अनुसार मान्य नही है क्योकि Food Safety Act 2006 Rool 2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सामग्री का नमूना लेने व LABORATORY को लिये गये सैम्पल का परिक्षण करने का विधिक अधिकार कानून द्वारा प्रत्योजित किया गया है।

(ii) यह कि प्रकरण Sub Standred नही होकर Miss Branded का है FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY कोटा की Analysis Report के अनुसार Batch no of whole sale poack is different form small pauches hence panvilas pan masala food product is misbranded as whole sale pack does not contain declared

batch rpoduct inside in to the Box (pack) see FSS pakaging labelling regulation 2.3 and 2.2.2.8 of fss Act 2006 best before date in to printted इस Analysis के आधार पर रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने से यह आशय नही लिया जा सकता कि Miss Brand होने के कारण लिये गये सेम्पल की गुणवत्ता में कोई गुणात्मक परिवर्तन हुआ हो। अभियुक्त का यह कथन उस समय सही सिद्ध होता जबकि उक्त प्रकरण Sub Standerd का होता।

साथ ही पत्रावली मे संलग्न FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY कोटा की REPORT OF THE FOOD ANALYST REPROT NO /FSSL/KOTA/ACT/2012/701 दिनांक 09.10 2012 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"Opinion- The sample of **"Pan Masla-Pan Vilas Brand does not posses correct batech no or lot no on whole sell pack and its contents (small Pauches), hanse it is declared ,Miss Branded as per FSS (Packagaing & Labelling) Regulation 2011 of FSS ACT 2006**

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक पान मसाला (पान विलास) का सेम्पल SERIAL NO. H-231 [MISS BRANDED] पाया गया है। जिससे अभियुक्तगण का दोष साबित है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही विधिक है।

अभियुक्तगण द्वारा मिस ब्राण्डेड (**Miss Branded**) प्रकृति की खाद्य वस्तु पान मसाला (पान विलास) निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।

चूँकि अभियुक्त संख्या 01 केवल अधिकृत कम्पनी का विक्रेता है इसके द्वारा कम्पनी द्वारा निर्मित पान मसाला (पान विलास) का विक्रय किया जाता है, परन्तु उसके द्वारा विक्रय करने से पहले खाद्य सामग्री का बैच नम्बर मिलान करना चाहिए था परन्तु अभियुक्त संख्या 01 की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को 25000/- (अक्षरे-पच्चीस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्माता कम्पनी Godfrey Philips india limited, एक बड़ी निर्माता कम्पनी है जिसका अपना अलग मैनेजमेन्ट है, कम्पनी का यह दायित्व है कि कम्पनी द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ का हर स्तर पर लेबलिंग ओर क्वालिटि की परीक्षण करे, परन्तु उक्त कम्पनी द्वारा यह कार्य नही किया गया है इस कारण कम्पनी दोषी है तथा Miss Branded प्रकृति का खाद्य वस्तु पान मसाला (पान विलास) का निर्माण कर आम जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ कृत्य किया है। कम्पनी के दोषी सिद्ध होने के कारण अभियुक्तगण संख्या 02 लगायत 04 पर संयुक्त रूप से एंव समानुपात मे रूपये 300000/--(अक्षरे- तीन लाख रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 20.12.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम) 20/12/23
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी